

प्रथम अनुसूची  
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक (3)
<p>IS 12330</p> 	<p>सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट (टांसवर्स स्ट्रेंथ की रीक्वायरमेंट के बिना)</p> <p>Sulphate Resisting Portland Cement (excluding the requirement of Transverse Strength)</p>	<p>आई एस 12330:1988</p> <p>सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि</p> <p>IS: 12330:1988</p> <p>Specification for Sulphate Resisting Portland Cement</p>

द्वितीय अनुसूची

THE SECOND SCHEDULE

अनुसूचि (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 4041943 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची  
 SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CML- 4041943

वस्तु प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की शैली MANNER OF PAYMENT (4)
सल्फेट रजिस्ट्रिंग पोर्टलैंड सीमेंट (दासवरी स्ट्रेन्थ की शिक्वायरमेंट के विना)  Sulfate Resisting Portland Cement (Excluding the requirement to Transverse Strength)	1 TONNE	2.00 रुपये प्रति इकाई सभी इकाइयों के साथ लागू अवधि के एक वर्ष के लिए 51200.00 बड़े उद्योग के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क देय होगा  Rs.2.00 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 51200/- for large scale unit during an operative period of one year.	<p>क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अंतिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी।</p> <p>(a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).</p> <p>ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले ती महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाले चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, टिकनी नई टिकनी में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 1.2 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, टिकनी टिकनी लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चार अवधि के पहले ती महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी।</p> <p>(b) Actual marking fee for the first three months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the licence shall be higher than the minimum marking fee for subsequent renewal period and first three months</p>

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Scientist in Charge (CML-1)  
 वैज्ञानिक एफ एनएच (के) सी वि 11

भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुमति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुमति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 4041943  
LICENCE NO. CM/L. - 4041943

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स देवान सीमेंट लि.,  
देह डेंडो, जिला मालिर,  
मालिर कराची,  
पाकिस्तान

अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि  
श्री विजय भुटड़ा,  
7, श्रदानन्द मार्ग स्ट्रीट # 2 इन्दौर,  
मध्य प्रदेश 452001

को (जिसे इसमें आगे अनुमतिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कॉलम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986 (63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s Dewan Cement Limited,  
Deh Dendo, District Malir, Karachi,  
Pakistan.

Authorized Indian Representative  
Mr. Vijay Bhutda,  
7, Shradhhand Marg, Street # 2, Indore,  
Madhya Pradesh -452001.

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ ये अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के आधीन बताए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगावों की देय फीस सम्यक् रीति से और तय समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलायगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 04 अक्टूबर 2013 से 03 अक्टूबर 2014


रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from FOURTH OCTOBER, TWO THOUSAND THIRTEEN to THIRD OCTOBER, TWO THOUSAND FOURTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations. ✓

आज दो हजार तेरह  
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

के दसम्बर

मास के



दिना

Signed, Sealed and Dated this *twenty ninth*

day of NOVEMBER TWO THOUSAND THIRTEEN

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

  
Scientist F&I Head (CMD-1)

वैज्ञानिक एफ एण्ड प्रमुख (के. मु. वि. 1)